



न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता

पीठासीन अधिकारी	:	राजेश्वर विश्नोई, आर.जे.एस.
दीवानी मूल वाद संख्या	:	22/2020
सी.आई.एस. संख्या	:	22/2020
CNR No.	:	RJMR16-000047-2020

वादी :-

शिवलाल गोद पुत्र गोपीलाल, निवासी अलवास, तहसील डेगाना, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. गोपीलाल पुत्र रामलाल, निवासी अलवास, तहसील डेगाना, जिला नागौर राज. (मृत)
2. सन्तोष पुत्री गोपीलाल, पत्नी रामनिवास,
3. मुन्नी पुत्री गोपीलाल, पत्नी कैलाश,
निवासीगण झगड़वास, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राज.,
4. शिमला पुत्री गोपीलाल पत्नी प्रकाश, निवासी काणेचा, तहसील जैतारण,
जिला पाली, राज.,
5. दूर्गली पत्नी सांवरमल, निवासी निम्बोला कलां, तहसील डेगाना, जिला नागौर,
6. तहसीलदार, डेगाना, जिला नागौर,
7. उप पंजीयन अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर।

**दावा बाबत बेचान दस्तावेज क्रम संख्या 202003177100884 दस्तावेज संख्या
202001177001330 दिनांक 11.06.2020 उप पंजीयन डेगाना प्रतिवादी संख्या**

**7 के कार्यालय में निष्पादित हुआ, को अवैध एवं शून्य घोषित करने व
स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक व्यादेश**

उपस्थित :-

1. श्री सहदेव प्रसाद स्वामी, विद्वान् अधिवक्ता वादी।
2. श्री अजय सिंह राठौड़, विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 5
3. प्रतिवादी संख्या 4, 6 व 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।



:: निर्णय ::

दिनांक : 07.05.2026

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से अभिकथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल वादी का दत्तक पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 वादी की बहनें हैं। वादी प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल दत्तक पिता के साथ रहवास करता है तथा हिन्दू संयुक्त परिवार का सदस्य है। उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 धर्म से हिन्दू है तथा मिताक्षर मत के अनुयायी है एवं बनारस स्कूल से गवर्न होते हैं। पुश्तैनी चल व अचल सम्पत्ति में वादी का हिन्दू परिवार की अविभक्त परिवार की भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा एवं अधिकार हैं। ग्राम साण्डास तहसील डेगाना के खेत खसरा नम्बर 117/147 रकबा 1.6600 हैक्टर पुराना खसरा नम्बर 201/110 रकबा 10.05 बीघा आया हुआ है। उक्त खसरा पूर्व में मूल खसरा 110 दर्ज था, जिसका कुल रकबा 69.05 बीघा दर्ज था, जिसमें वादी के दादा रामलाल का अन्य सहखातेदारान के साथ हिस्सा दर्ज था, जो बाद बंटवाड़ा प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल के खसरा नम्बर 201/110 रकबा 10.05 बीघा भूमि बंट व हिस्से में आई, जो वर्तमान में खसरा नम्बर 117/147 रकबा 1.66 हैक्टर दर्ज है। बाल्यकाल में जब वादी मात्र तीन वर्ष का था, तब प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र नहीं होने से बतौर पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के साथ रहने लगा एवं तीन वर्ष की उम्र में आखातीज के दिन दत्तक होम किया जाकर गांव व समाज के मौतबीर व्यक्तियों के समक्ष मांगलिक गीत गाकर एवं गुड़ बांटकर गोद लेने एवं देने की प्रक्रिया प्राकृतिक माता एवं गोद माता-पिता ने सम्पन्न की व प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को गोद में बैठाकर माथे हाथ फेरकर अपना गोद पुत्र होना स्वीकार किया एवं उक्त गोद का पंजीयन दिनांक 18.03.2014 को वादी की प्राकृतिक माता की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में गोदनामा दस्तावेज क्रम संख्या 2014000011 दिनांक 18.03.2014 को उप पंजीयक, डेगाना के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी को गोद लेने एवं गोदनामा रजिस्टर्ड करवाने के पश्चात् वादी प्रतिवादी



संख्या 1 के संयुक्त परिवार का सदस्य हो गया व वाद पत्र के पैरा नंबर 3 में वर्णित पुश्तैनी भूमि में संयुक्त अविभक्त परिवार का सदस्य होने से बतौर सहदायिक समान रूप से हकदार भी हो गया, जिससे उक्त वर्णित भूमि में वादी का 1/5 में हित निहित हो गया तथा प्रत्येक परिवार के सदस्य वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का समान रूप से 1/5-1/5 हिस्सा उक्त भूमि में रहा एवं है। वादी बाल्यकाल से गोद के समय एवं गोद रजिस्टर्ड होने के वक्त एवं तत्पश्चात आज दिनांक तक उक्त संयुक्त परिवार की अविभक्त भूमि पर संयुक्त सदस्य एवं सहदायिकी की हैसियत से पुश्तैनी जमीन पर काश्त एवं काबिज हुवा एवं है। उक्त भूमि का 1/5 हिस्से का हकदार वादी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल जो वादी के गोद पिता है। उक्त गोपीलाल भी 1/5 हिस्से के हकदार कानूनन है, लेकिन उक्त अविभक्त भूमि होने से हिन्दू संयुक्त परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 11.06.2020 को रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज संख्या 202001177001330 प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में बिना कब्जा, बिना हक एवं बिना अधिकार के गैरकानूनी तरीके से उप पंजीयक कार्यालय डेगाना प्रतिवादी संख्या 7 के सक्षम निष्पादित एवं रजिस्टर्ड करवा दिया। उक्त बेचान दस्तावेज वादी के अधिकारों के 1/5 हिस्से तक शून्य एवं निष्प्रभावी, अवैध, एब-इनिशियों-वोर्ड्ड है, जिसके निम्न आधार हैं :-

- यह है कि उक्त पुश्तैनी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा ही कानूनन निहित है, जिससे सम्पूर्ण बेचान करने का हक प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं था, जिससे बिना अधिकार किया गया बेचान अवैध हैं।
- यह है कि वादी का उक्त भूमि में 1/5 हिस्से तक हित निहित है। वादी ने उक्त भूमि को बेचान करने की सहमति कभी भी क्रेता एवं विक्रेता को नहीं दी है, जिससे उक्त बेचान दस्तावेज वादी के अधिकारों के प्रति शून्य एवं निष्प्रभावी हैं।
- यह है कि उक्त बेचान की गई सम्पति पर संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यगण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का संयुक्त अविभक्त कुटुम्ब के सहदायिकी की हैसियत से कब्जा रहा है तथा वादी का आज दिनांक तक कब्जा है,



जिससे कब्जे के अभाव में विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल को उक्त जमीन विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त बेचाननामा के समय क्रेता को कब्जा नहीं सौंपा गया है, जिससे उक्त बेचान एब-इनिशियो-वोर्ड हैं।

- यह है कि पुश्तैनी जमीन होने से विवादित भूमि को एक सहदायिकी द्वारा विक्रय किए जाने का अधिकार नहीं है, जिससे विक्रय अधिकार विहीन होने से क्रेता के पक्ष में उक्त विक्रयनामा के आधार पर किसी भी तरह कोई हक सृजित नहीं होते हैं, जिससे बेचान होना अवैध है।
- यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया जाना बताया है, जबकि गोपीलाल का उक्त जमीन में 1/5 हिस्सा है, जिससे भी विक्रयनामा अवैध एवं शून्य हैं।

2. उपरोक्त आधारों पर वादी विवादित बेचाननामा को अपने अधिकारों के प्रति शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाकर अपने 1/5 हिस्से तक उक्त बेचाननामा को अवैध एवं शून्य घोषित करवाने का अधिकारी हैं। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा है, लेकिन प्रतिवादीगण सभी मिले हुवे हैं एवं वादी की उक्त जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 अन्य प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के सिखावे में है तथा उक्त प्रतिवादीगण वादी को उसके अधिकारो से वंचित करने के लिये आमदा है एवं मुतनाजा भूमि पर से अवैध तरीके से बेदखल कर काबिज होना चाहते हैं, इसी आशय से उन्होंने प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में बेचाननामा अवैध तरीके से तकमील करवाया है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है एवं अगर प्रतिवादीगण जबरन वादी को बेदखल कर काबिज होते हैं एवं वादी को भारी असुविधा होगी। उक्त भूमि में वादी का बतौर सहदायिक आज दिन तक कब्जा है एवं पुश्तैनी उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि बतौर गोद पुत्र काश्त एवं कब्जा हक एवं अधिकार रखने का अधिकारी है एवं अविभक्त संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में संयुक्त कब्जा होने से क्रेता को बिना बंटवारा करवाये स्ट्रेन्जर पर्चेजर होने से कब्जा विशेष पर कब्जा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। वाद पत्र में निम्न निवेदन किया गया कि :-



1. राजस्व ग्राम साण्डास तहसील डेगाना के खेत खसरा नंबर 177/147 रकबा 1.6600 हैक्टर भूमि के बाबत किये गये बेचान दस्तावेज क्रम संख्या 202003177100884 दस्तावेज संख्या 202001177001330 दिनांक 11.06.2020 जो प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 7 के कार्यालय में निष्पादित एवं रजिस्टर्ड करवाया, उक्त बेचान दस्तावेज वाद पत्र में वर्णित आधारों पर वादी के 1/5 हिस्से तक वादी के अधिकारों प्रति शून्य एवं निष्प्रभावी, अवैध एवं एब-इनिशियो-वोर्डेड घोषित फरमाया जावें।
2. बाद घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि उपरोक्त विवादित खसरान की भूमि के वादी के शांतिपूर्ण काश्त एवं कब्जे में तथा भूमि का सर्वप्रकार से भोग एवं उपभोग करने में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी एवं दस्तन्दाजी ना तो स्वयं करें, ना ही अन्यो से करावें।
3. उक्त विवादित बेचान दस्तावेज को निरस्त घोषित किये जाने के पश्चात् न्यायालय आदेशों की पालना में उक्त बेचान दस्तावेज की प्रति जो प्रतिवादी संख्या 7 के कार्यालय रिकॉर्ड में है। कार्यालय रिकॉर्ड में मौजूद बेचान दस्तावेजों की प्रति में बेचान दस्तावेज को निरस्त किये जाने का नोट अंकित करने हेतु तहरीर उप पंजीयन अधिकारी डेगाना को जारी फरमाई जावें।
4. आज्ञात्मक व्यादेश की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की हर सादिर फरमाई जावे कि अगर दौराने दावा प्रतिवादीगण वादी को मौके पर से बेदखल करते हैं, तब प्रतिवादीगण के खर्चे से वाद पेश किये जाने के दिन की स्थिति बहाल करवाई जावे तथा विवादित भूमि का कब्जा वादी को दिलाया जावे।
3. प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 ने प्रार्थना-पत्र का जवाब, वाद पत्र के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए इस आशय का पेश किया कि वादी शिवलाल ने प्रतिवादी गोपीराम के साथ छल, कपट व धोखा करते हुवे गोदनामा का दस्तावेज दिनांक 18.03.2014 को तकमील करवा दिया, लेकिन वादी ने प्रतिवादी गोपीलाल की कभी सेवा-सुश्रुषा नहीं की, न ही भरण-पोषण किया, न ही गोद पुत्र होने का



दायित्व निर्वहन किया और न ही बीमारी में दवाइयां आदि दिलवाई, जिससे कानूनन वादी, प्रतिवादी का गोद पुत्र नहीं है। प्रतिवादी के तीन पुत्रियां संतान संतोष, मुन्नी, शिमला है, जो कानूनन प्रतिवादी सं. 1 की उत्तराधिकारी है। वादी, प्रतिवादी सं. 1 का उत्तराधिकारी नहीं है, जिससे उसका इस जमीन में हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने परिवार का कर्जा उतारने व पोषण करने हेतु ग्राम साण्डास के खसरा नम्बर 177/147 का बेचान दिनांक 11.06.2020 प्रतिवादी सं. 5 दुर्गली को करके उसका कब्जा करवा दिया है, जो बेचान दस्तावेज तकमील करने का प्रतिवादी सं. 1 को कानूनी अधिकार था, जो बेचान दस्तावेज विधि अनुसार सही है, जिसको निरस्त करवाने का अधिकार वादी को नहीं है। उक्त जमीन पर वादी का कब्जा नहीं है, न ही वादी का हिस्सा है, जिससे वादी का उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। वादी स्वयं ने प्रतिवादी गोपीराम से ग्राम साण्डास के खसरा नम्बर 160/58 में से 1/2 हिस्से की बेचान रजिस्ट्री अपने हक में दिनांक 18.03.2014 को करवाई है, अगर वादी प्रतिवादी का गोद पुत्र होता, तो वो उक्त बेचान रजिस्ट्री नहीं करवाता व जमीन क्रय नहीं करता व गोपीराम को कीमत अदा नहीं करता, जिससे यह पूर्णतया साबित है कि वादी, प्रतिवादी सं. 1 का गोद पुत्र नहीं है। वादी ने बेचान दस्तोवज निरस्त करवाने का जो दावा पेश किया है, उसकी मालियत 1,00,000/- वर्णित है, लेकिन वादी ने एक लाख रुपये की न्याय शुल्क अदालत में पेश नहीं दावा काबिल चलने के नहीं है, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। उक्त जमीन की प्रतिवादी सं. 05 सद्भाविक खरीददार है व क्रय करने के पश्चात से उसका काश्त कब्जा है, जिससे वादी का इस जमीन में हक, हिस्सा व अधिकार नहीं होने से दावा व प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। उक्त जमीन वादी की पुश्तैनी नहीं है। अंत में वादी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया गया।

4. तलबी होने के बावजूद तथा बावजूद आवाज उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के विरुद्ध दिनांक 10.08.2020 को तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।



5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में दिनांक 16.02.2026 को निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :-

1. क्या वादी शिवलाल प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल व प्रतिवादी संख्या 2 संतोष का गोदनामा पंजीबद्ध है ? ----वादी
2. क्या प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल ने दिनांक 11.06.2020 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 5 दुर्गली के पक्ष में कृषि भूमि (जिसका वर्णन वाद पत्र की पद संख्या 3 में वर्णित है) विक्रय कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल का उक्त कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा ही मौजूद था ? ----वादी
3. क्या वादी की सहमति के बिना उपरोक्त विक्रय वादी के अधिकारों के प्रति शून्य व निष्प्रभावी है ? ----वादी
4. क्या वादी इस आशय की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि राजस्व ग्राम साण्डास, तहसील डेगाना के खेत खसरा नंबर 177/147 रकबा 1.6600 हैक्टर भूमि के बाबत किये गये बेचान दस्तावेज क्रम संख्या 202003177100884 दस्तावेज संख्या 202001177001330 दिनांक 11.06.2020 जो प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल ने प्रतिवादी संख्या 5 दुर्गली के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 7 उप पंजीयन अधिकारी, डेगाना के कार्यालय में निष्पादित एवं रजिस्टर्ड करवाया, उक्त बेचान दस्तावेज वाद पत्र में वर्णित आधारों पर वादी के 1/5 हिस्से तक वादी के अधिकारों प्रति शून्य एवं निष्प्रभावी, अवैध, शून्य एवं एब-इनिसियो-वोर्ड है ? ----वादी
5. क्या वादी इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि उपरोक्त विवादित खसरान की भूमि के वादी के शांतिपूर्ण काश्त एवं कब्जे में तथा भूमि का सर्वप्रकार से भोग एवं उपभोग करने में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी एवं दस्तन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही अन्यो से करावें ? ----वादी



6. क्या वादी का विवादित कृषि भूमि पर कब्जा नहीं होने से तथा विवादित कृषि भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 5 दुर्गली का होने से वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किए जाने योग्य है ?

—प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5

7. अनुतोष ?

6. वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 शिवलाल, पीडब्ल्यू 2 मदन सिंह, पीडब्ल्यू 3 परमाराम, पीडब्ल्यू 4 सुरेन्द्र ढाका, पीडब्ल्यू 5 शिवलाल (रिबटल) के बयान लेखबद्ध किए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 असल गोदनामा दिनांकित 18.03.2014, प्रदर्श पी-1/1 उक्त गोदनामे की फोटो प्रति, प्रदर्श पी-2 बेचान दस्तावेज दिनांकित 11.06.2020 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी-3 लगायत प्रदर्श पी-5 जमाबन्दी खतौनी की नकलें, प्रदर्श पी-6 खसरा मिलान का क्षेत्रफल, प्रदर्श पी-7 खातेदारी सम्वत् 2067 से 2070 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी-8 सम्वत् 2054 से 2057 की जमाबन्दी खातेदारी नकल की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी-9 मौका रिपोर्ट, प्रदर्श पी-10 पक्षकारान को दिया गया नोटिस, प्रदर्श पी-11 मौका रिपोर्ट, प्रदर्श पी-12 नक्शा मौका, प्रदर्श पी-13 लगायत प्रदर्श पी-15 मौके के फोटोग्राफ्स को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू 1 संतोष, डीडब्ल्यू 2 मुन्नी, डीडब्ल्यू 3 सांवरमल, डीडब्ल्यू 4 दुर्गली के बयान लेखबद्ध किए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी-1 खातेदारी भूमि का विक्रय विलेख दिनांकित 18.03.2014 की सत्य प्रति को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

7. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं सुनाई गई मौखिक बहस के आधार पर साक्ष्य का विश्लेषण निम्न प्रकार से है :-

तनकी संख्या 1 :-

8. तनकी संख्या 1 इस प्रकार है कि वादी शिवलाल प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल व प्रतिवादी संख्या 2 संतोष का गोदनामा पंजीबद्ध है। उक्त तनकी पढ़ने मात्र से



प्रकट होता है कि इसका आशय यह है कि क्या शिवलाल के पक्ष में गोपीलाल ने पंजीबद्ध गोदनामा निष्पादित किया। उभयपक्ष भी इस बिंदु पर सहमत है।

9. इस संबंध में दौराने बहस वकील वादी ने पंजीबद्ध गोदनामा प्रदर्श पी-1 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कथन किया कि उक्त गोदनामा पंजीबद्ध है तथा इसके निष्पादन के संबंध में उपधारणा करने के विधिक प्रावधान मौजूद है। इस दस्तावेज को आज दिनांक तक किसी न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय किए जाने का निवेदन किया गया।
10. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वकील प्रतिवादीगण ने तर्क दिया कि वादी शिवलाल ने गोपीलाल के साथ छल करके उक्त गोदनामा निष्पादित करवाया, इसलिए उक्त गोदनामा विधिक रूप से सही नहीं माना जा सकता है। जिस दिन यह गोदनामा निष्पादित हुआ, उसी दिन शिवलाल ने गोपीलाल से खातेदारी भूमि क्रय की थी और उसी की आड़ में गोपीलाल, जो कि अनपढ़ बुजुर्ग व्यक्ति था, के साथ छल करते हुए गोदनामा भी पंजीबद्ध करवा लिया। आगे यह भी तर्क दिया कि यह संभव नहीं है कि जिस व्यक्ति को गोपीलाल गोद ले रहा हो, उसी दिन उसे अपना खेत बेच भी रहा हो। इससे स्पष्ट है कि उक्त गोदनामा फर्जी रूप से तैयार किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध तय किए जाने का निवेदन किया गया।
11. सुना गया एवं उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने स्वयं को प्रतिवादी गोपीलाल का दत्तक पुत्र बताते हुए पंजीबद्ध गोदनामा प्रदर्श 1 पेश किया है। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त गोदनामों को इस आधार पर अवैध बताया है कि उक्त गोदनामा गोपीलाल को मुगालते में रखकर बेचाननामा प्रदर्श डी.1 की आड़ में निष्पादित करवाया गया है। इस गोदनामों पर गोपीलाल की अन्य पुत्रीयों संतोष व मुन्नी के अंगुठा निशानी व पुत्री शिमला के हस्ताक्षर भी है। न्यायालय का मत है कि पंजीबद्ध गोदनामों को केवल आपत्ति के आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 16 में निम्न प्रावधान है :-



16. Presumption as to registered documents relating to adoption:-

Whenever any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption, the court shall presume that the adoption has been made in compliance with the provisions of this Act unless and until it is disproved.

12. इसी प्रकार हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 15 में निम्न प्रावधान है :-

15. Valid adoption not to be cancelled:- No adoption which has been validly made can be cancelled by the adoptive father or mother or any other person, nor can the adopted child renounce his or her status as such and return to the family of his or her birth.

13. हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि जब कभी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पंजीकृत कोई दस्तावेज किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दत्तक ग्रहण का अभिलेखन किया जाना अभिप्रेत है और उस पर बालक को दत्तक ग्रहण करने वाले तथा देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि दत्तक ग्रहण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है, जब तक कि उसे अस्वीकृत न कर दिया जाए। इसी प्रकार कोई भी वैध दत्तक ग्रहण दत्तक पिता या माता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है, न ही दत्तक बालक अपनी स्थिति को त्याग सकता है और अपने जन्म के परिवार में वापस लौट सकता है। वकील प्रतिवादी के तर्क एक सम्भावना मात्र दर्शित करते हैं कि जिस दिन गोपीलाल ने शिवलाल को अचल सम्पत्ति विक्रय की उसी दिन का दत्तकग्रहण दस्तावेज निष्पादित हुआ है, जो कि इसी कारण से संदेहास्पद है, परन्तु उक्त सम्भावना मात्र को विधिक प्रावधानों पर अभिभावी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, खासतौर से तब जब प्रतिवादीगण की ओर से उक्त पंजीबद्ध गोदनामों को शून्य या रद्द करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है और इस पर गोपीलाल की अन्य पुत्रीयों के अंगुठा निशानी व हस्ताक्षर भी है। इस प्रकार उपरोक्त



परिस्थितियों व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता है कि वादी शिवलाल प्रतिवादी गोपीलाल का दत्तक पुत्र है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 2, 3, 4 व 5 :-

14. उक्त सभी तनकीयात विवादित विक्रय विलेख से जुड़ी होने के कारण एक साथ निस्तारित की जा रही है। तनकी संख्या 2 में वादी को यह साबित करना था कि प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल ने दिनांक 11.06.2020 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 5 दुर्गली के पक्ष में कृषि भूमि (जिसका वर्णन वाद पत्र की पद संख्या 3 में वर्णित है) विक्रय कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल का उक्त कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा ही मौजूद था। तनकी संख्या 3 में वादी को यह साबित करना था कि वादी की सहमति के बिना उपरोक्त विक्रय वादी के अधिकारों के प्रति शून्य व निष्पभावी है। इसी अनुसरण में तनकी संख्या 4 में वादी को यह साबित करना था कि वादी बेचाननामें के शून्य होने की घोषणा की डिक्री तथा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।
15. इस संबंध में दौराने बहस वकील वादी ने तर्क दिया कि विवादित भूमि एक सहदायिकी संपत्ति थी, जिसमें वादी का सहदायक के रूप में हक व हिस्सा था, जिसे विक्रय करने का प्रतिवादी गोपीलाल को कोई अधिकार नहीं था। वकील वादी ने यह भी तर्क दिया कि उक्त पुश्तैनी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा ही कानूनन निहित है, जिससे सम्पूर्ण बेचान करने का हक प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं था, जिससे बिना अधिकार किया गया बेचान अवैध हैं। वादी का उक्त भूमि में 1/5 हिस्से तक हित निहित है। वादी ने उक्त भूमि को बेचान करने की सहमति कभी भी क्रेता एवं विक्रेता को नहीं दी है, जिससे उक्त बेचान दस्तावेज वादी के अधिकारों के प्रति शून्य एवं निष्पभावी हैं। उक्त बेचान की गई सम्पत्ति पर संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यगण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का संयुक्त अविभक्त कुटुम्ब के सहदायिकी की हैसियत से कब्जा रहा है तथा वादी का आज दिनांक तक कब्जा है, जिससे कब्जे के अभाव में विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1



गोपीलाल को उक्त जमीन विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त बेचाननामा के समय क्रेता को कब्जा नहीं सौंपा गया है, जिससे उक्त बेचान एब-इनिशियो-वोर्ड हैं। पुश्तैनी जमीन होने से विवादित भूमि को एक सहदायिकी द्वारा विक्रय किए जाने का अधिकार नहीं है, जिससे विक्रय अधिकार विहीन होने से क्रेता के पक्ष में उक्त विक्रयनामा के आधार पर किसी भी तरह कोई हक सृजित नहीं होते हैं, जिससे बेचान होना अवैध हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया जाना बताया है, जबकि गोपीलाल का उक्त जमीन में 1/5 हिस्सा है, जिससे भी विक्रयनामा अवैध एवं शून्य हैं। अतः ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2, 3 4 व 5 वादी के पक्ष में तय किए जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांत नारायणसिंह बनाम अमराराम वगैरा Citation : 1992(2) WLN 442 पेश किया।

16. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वकील प्रतिवादीगण ने तर्क दिया कि विवादित कृषि भूमि में वादी खातेदार नहीं है और खातेदारी अधिकारों की घोषणा के बिना वह विवादित भूमि पर 1/5 हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता। विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है एवं बिना बंटवारा शिवलाल को 1/5 हिस्से का स्वामी नहीं माना जा सकता। वादी विवादित भूमि का खातेदार नहीं है। खातेदारी के बिंदु को तय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, बल्कि राजस्व न्यायालय को है। अतः विवादित संपत्ति में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के बिना वादी को विवादित संपत्ति में हिस्सेदार नहीं माना जा सकता है। वादी ने गोपीलाल की सेवा-चाकरी नहीं की और न ही उसके खर्चे पूरे किए, अतः गोपीलाल ने विधिक आवश्यकता के लिए व भरण-पोषण व इलाज के लिए उक्त भूमि का कर्ता की हैसियत से विक्रय कर दिया जिसे वादी अब चेलेंज नहीं कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तनकियात वादी के विरुद्ध तय किए जाने का निवेदन किया गया।

17. सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत नारायणसिंह बनाम अमराराम वगैरा Citation : 1992(2) WLN



442 का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसके पैरा संख्या 31 में निम्न अंकन है:—

The only difference between the right of the manager of a joint Hindu Family over joint family property is that while the **former can alienate the joint hindu family property only for legal necessity or for family benefit**, the later is entitled to dispose of the coparcenary property as if it were his separate property, as long as he remains sole surviving coparcener and he may sell or mortgage the coparcenary property and he may sale or mortgage the coparcenary property even though there is no legal necessity or family benefit or even make a gift of the coparcenary property.

18. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अब न्यायालय को ये देखना है कि क्या गोपीलाल द्वारा उक्त विक्रय अपनी वैध आवश्यकता के लिए गया है। उक्त विक्रय विलेख प्रदर्श पी-2 का अवलोकन किया गया, जिसमें गोपीलाल द्वारा निम्न अंकन किया गया है:—

“मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता स्वयं की एकल खातेदारीसुदा भूमि सरहद ग्राम साण्डास तहसील डेगाना की राजस्व सीमा मे खेत खसरा नम्बर 177/147 रकबा 1.6600 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि आई हुई है, जो मेरे स्वयं के काश्त, कब्जासुदा व खातेदारीसुदा हैं। अब **मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता को घरखर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से** मैंने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 177/47 रकबा 1.6600 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि के आप क्रेता को खातेदारी अधिकारों का बैचान करके कीमतन रूपये 1,00,000/- अक्षरे एक लाख रूपयों में मोल विक्रय कर प्रतिफल की उपरोक्त राशि रोकड़ी प्राप्त कर उक्त बैचान की गई भूमि का मौके पर आज दिन आप क्रेता को कब्जा करवा दिया है। सो आज के बाद उक्त बैचान की गई भूमि के खातेदार (मालिक) आप क्रेता व आपके समस्त उत्तराधिकारीगण होंगे। मुझ विक्रेता व मेरे समस्त उत्तराधिकारियों का इस भूमि पर कोई हक नहीं रहेगा।”



19. यह काबिले गौर है कि जिस दिन वादी के पक्ष में गोपीलाल ने गोदनामा निष्पादित किया, उसी दिन गोपीलाल ने वादी शिवलाल को अपनी कृषि भूमि का एक हिस्सा सप्रतिफल विक्रय किया था, जो कि प्रदर्श डी-1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें निम्न अंकन है :-

“मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता स्वयं व अन्यसहखातेदारों की सामलाती खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम साण्डास तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 160/58 रकबा 0.05 बीघा किस्म बारानी द्वितीय की भूमि आई हुई है, जिसमें मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता का 1/2वां हक हिस्सा निहित है, जो मेरे स्वयं के कब्जासुदा व खातेदारीसुदा है। अब **मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता को घरखर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से** मैंने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 160/58 रकबा 0.05 बीघा भूमि में से मेरे 1/2वां सम्पूर्ण हिस्सा की भूमि के खातेदारी अधिकारों का बैचान करके कीमतन रूपये 40,000/- अक्षरे चालीस हजार रूपयों में मोल विक्रय कर प्रतिफल की उपरोक्त राशि रौकड़ी प्राप्त कर उक्त बैचान की गई भूमि का मौके पर आज दिन आप क्रेता को कब्जा करवा दिया है।”

20. इस प्रकार उपरोक्त विक्रय विलेखों में गोपीराम द्वारा अपनी निजी आवश्यकता के लिए भूमि विक्रय किए जाने का अंकन किया गया है। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या उक्त विक्रय सद्भाविक वैध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। इस संबंध में प्रतिवादीगण के जवाब दावे में निम्न अंकन है:-

“वादी शिवलाल ने प्रतिवादी गोपीराम के साथ छल, कपट व धोखा करते हुवे गोदनामा का दस्तावेज दिनांक 18.03.2014 को तकमील करवा दिया, लेकिन वादी ने प्रतिवादी गोपीलाल की कभी सेवा-सुश्रुषा नहीं की, न ही भरण-पोषण किया, न ही गोद पुत्र होने का दायित्व निर्वहन किया और न ही बीमारी में दवाइयां आदि दिलवाई, जिससे कानूनन वादी, प्रतिवादी का गोद पुत्र नहीं है। प्रतिवादी के तीन पुत्रियां संतान संतोष, मुन्नी, शिमला है, जो कानूनन प्रतिवादी सं. 1 की उत्तराधिकारी है।”



21. उक्त अभिवचनों के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डीडब्ल्यू 1 संतोष तथा डीडब्ल्यू 2 मुन्नी को पेश किया गया है, जिन्होंने उक्त कथनों की तार्किकता की है। स्वयं वादी शिवलाल डीडब्ल्यू ने भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि, "गोपीलाल के अंतिम समय में ग्राम झगड़वास में उनकी पुत्रियों ने ही सेवा-चाकरी की थी। गोपीलाल अपनी पुत्रियों के साथ ही रहते थे। गोपीलाल ने दुर्गली पत्नी सांवरमल जाट निवासी निम्बोला को अपना भरण-पोषण एवं खर्च खाता के लिए अपनी जायज जरूरतों के लिए जमीन बेचान की थी।" वादी के गवाह डीडब्ल्यू 2 मदन सिंह ने भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि, "गोपीलाल की पत्नी का निधन होने के कुछ समय बाद गोपीलाल ग्राम झगड़वास में अपनी पुत्रियों के साथ रहने लग गए। यह कहना सही है कि गोपीलाल का निधन ग्राम झगड़वास में ही अपनी पुत्रियों के घर में ही हुआ था। यह कहना सही है कि गोपीलाल की पुत्रियों ने ही ग्राम झगड़वास में सेवा सुश्रुषा की थी। बीमारी के वक्त दवाई-दारू भी उनकी पुत्रियां ही दिलवाती थी। भरण-पोषण, कपड़े व सब सेवा उनकी पुत्रियों ने ही की थी।" इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह साबित होता है कि गोपीलाल ने खातेदार की हैसियत एवं कर्ता की हैसियत से वैध निजी आवश्यकता को देखते हुए विवादित भूमि दुर्गली देवी को विक्रय की थी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत State Bank Of India vs Ghamandi Ram (Dead) Through Shri Gurbax on 13 February, 1969 Citations : 1969 AIR 1330 में निम्न प्रकार ऑब्जर्व किया है :-

"According to the Mitakshara School of Hindu Law all the property of a Hindu joint family is held in collective ownership by all the coparceners in a quasi-corporate capacity. The textual authority of the Mitakshara lays down in express terms that the joint family property is held in trust for the joint family members then living and thereafter to be born (See Mitakshara, Ch. 11-27). The incidents of co-parcenership under the Mitakshara law are :

first, the lineal male descendants of a person up to the third generation, acquire on birth ownership in the ancestral properties.is



common; fifthly, that no alienation of the property any tune work out their rights by asking for partition thirdly that till partition each member has got ownership extending over the entire property, conjointly with the rest; fourthly, that as a result of such co- ownership the possession and enjoyment of the properties is common; fifthly, **that no alienation of the property is possible unless it be for necessity, without the concurrence of the coparceners,** and sixthly, that the interest of a deceased member lapses on his death to the survivors. A coparcenary under the Mitakshara School is a creature of law and cannot arise by act of parties except in so far that on adoption the adopted son becomes a coparcener with his adoptive father as regards the ancestral properties of the latter."

22. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत *Kehar Singh (D) Thr. Lrs. vs Nachittar Kaur* on 20 August, 2018 citations AIR 2018 SUPREME COURT 3907 में निम्न प्रकार ऑब्जर्व किया है :—

28) Once the factum of existence of legal necessity stood proved, then, in our view, no co-coparcener (son) has a right to challenge the sale made by the Karta of his family. The plaintiff being a son was one of the co-coparceners along with his father-Pritam Singh. He had no right to challenge such sale in the light of findings of legal necessity being recorded against him. It was more so when the plaintiff failed to prove by any evidence that there was no legal necessity for sale of the suit land or that the evidence adduced by the defendants to prove the factum of existence of legal necessity was either insufficient or irrelevant or no evidence at all.

23. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपनी विधिक आवश्यकता हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता अपने संपत्ति का विक्रय अन्य सहदायिकी के सदस्यों की बिना सहमति के भी कर सकता है। वकील वादी की स्वयं की साक्ष्य से साबित होता है कि उसने कभी अपने दत्तक पिता गोपीलाल की सेवा नहीं की और न ही भरण—पोषण किया, बल्कि गोपीलाल की पुत्रियों द्वारा भरण—पोषण



किया गया। चूंकि विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए बंटवारे से पूर्व कर्ता की हैसियत से गोपीलाल को उक्त भूमि को वैध आवश्यकता हेतु बेचने का अधिकार प्राप्त था। उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि कठिन आर्थिक समस्याओं से उत्पन्न वैध आवश्यकता के कारण विवादित भूमि गोपीलाल द्वारा कर्ता की हैसियत से विक्रय की गई थी। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय का मत है कि गोपीलाल द्वारा दूर्गली देवी के पक्ष में किया गया विक्रय अपनी विधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था, क्योंकि वादी द्वारा गोपीलाल की सेवा नहीं की जा रही थी। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त तनकी संख्या 2, 3 व 4 वादी के विरुद्ध तय की जाती है और इस कारणवश वादी उपरोक्त विक्रय विलेख को शून्य घोषित करवाने और विवादित संपत्ति के संबंध में निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

तनकी संख्या 6 :-

24. तनकी संख्या 6 में प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 को यह साबित करना था कि वादी का विवादित कृषि भूमि पर कब्जा नहीं होने से तथा विवादित कृषि भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 5 दुर्गली का होने से वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किए जाने योग्य है।
25. इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से अपने अभिवचनों में विवादित भूमि पर दूर्गली देवी का कब्जा होने का कथन किया है और वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह पीडब्ल्यू 2 मदन सिंह ने भी इस संबंध में अपनी जिरह में कथन किया है कि, "गोपीलाल ने जो ग्राम साण्डास में खेत बेचा, उस पर कब्जा बेचान किया, उस समय से आज दिन तक निम्बोला कलां निवासी दूर्गली पत्नी सांवरमल जाति जाट का ही है" और वादी के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 3 परमाराम ने भी अपनी जिरह में कथन किया है कि, "गोपीलाल की जमीन को बेचने के बाद में दुर्गली पत्नी सांवरमल जाट निवासी निम्बोला कलां का ही कास्त कब्जा है तथा खरीदने के बाद से आज दिन भी यही लोग कास्त करते आ रहे हैं।" स्वयं वादी की बहनें डीडब्ल्यू 1 संतोष व डीडब्ल्यू 2 मुन्नी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में विवादित भूमि पर दूर्गली देवी का कब्जा होना बताया है। प्रकरण में प्रतिवादी दूर्गली देवी



डीडब्ल्यू 4 ने भी अपने अभिवचनों की मुख्य परीक्षा में ताईद की है और उससे इस संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रश्न जिरह में नहीं पूछा गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह साबित होता है कि विवादित भूमि पर दूर्गली देवी का कब्जा है। वादी ने विवादित भूमि के कब्जे की प्राप्ति के लिए वाद पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसके विपरीत दौराने विचारण प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने पर पुनः कब्जा दिलाने का कथन किया है जबकि दौराने विचारण प्रतिवादीगण ने वादी को विवादित भूमि से बेकब्जा किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य वादी की ओर से पेश नहीं की गई है। अतः कब्जे के अनुतोष के अभाव में वादी का वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 6 प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 7 अनुतोष :-

26. चूंकि तनकी संख्या 2 लगायत 5 वादी के विरुद्ध विनिश्चित हुई है एवं तनकी संख्या 6 प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 के पक्ष में विनिश्चित हुई है, इसलिए न्यायालय का मत है कि वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य नहीं है और इसी अनुसरण में वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार वादी का वाद-पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

:: आदेश ::

27. अतः वादी की ओर से प्रस्तुत यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे।

(राजेश्वर विश्नोई)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र

28. निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश्वर विश्नोई)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र